महत्वपूर्ण/वित्तीय स्वीकृति
संख्या-2686/2023/ ——— /001-1737705

प्रेषक,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 ~~अक्टूबर~~ नवम्बर, 2023

विषय:- अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत मेला मद से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मण्डलायुक्त, अयोध्या के पत्र संख्या-1279/न0नि0अयो0/2023-24, दिनांक 20.10.2023 एवं नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या के पत्र संख्या-1236/1237/1238/1239/1245/1247/1248/1249/1250/न0नि0अयो0/2023-24, दिनांक 19.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन के दृष्टिगत विभिन्न कार्य कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या के अनुरोध के दृष्टिगत निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0-2000.00 लाख (धनराशि रूपये बीस करोड़ मात्र) की व्यवस्था की गयी है :-

क्र0सं0	परियोजना/कार्य का नाम	अनुमानित व्यय/धनराशि की मांग (रूपये लाख में)
1	नागरिक सहायता केन्द्र की स्थापना	62.50
2	यांत्रिक घाट सफाई हेतु वाहन क्रय/संचालन/रखरखाव किये जाने हेतु	151.64
3	30 अदद सचल शौचालय के क्रय का प्रस्ताव	184.50
4	सड़कों की 24X7 सफाई कार्य कराने हेतु मानव श्रम की व्यवस्था हेतु	1047.00
5	विभिन्न गतिविधियों के सम्यक् संचालन हेतु	435.00
6	उपभोज्य सामग्रियों के क्रय हेतु	174.13
7	स्वास्थ्य सेवाओं (संचारी रोग नियन्त्रण हेतु) हेतु आवश्यक सामग्रियों एवं मशीनों के क्रय हेतु	50.00
8	घाटों पर चेंजिंग रूम क्रय किये जाने हेतु	120.00
9	2000 अदद अस्थायी शौचालय 02 माह के किराये हेतु	1200.00
10	श्री राम मन्दिर के आवागमन के मार्गों पर साइनेज एवं पेन्टिंग कार्य, टेन्ट, बैरिकेटिंग का कार्य	540.63

11	अस्थायी शेड/अस्थायी बसेरा का निर्माण किये जाने का कार्य	124.49
	योग-	4089.89

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या धाम में आगामी भव्य श्री राम जन्म भूमि मन्दिर प्रतिष्ठा समारोह के सफल आयोजन हेतु विभिन्न कार्य/परियोजनाओं को कराये जाने हेतु , वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05- स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शिनियों हेतु व्यवस्था-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-2000.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0-2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 मे वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार मण्डलायुक्त अयोध्या का अनुमोदन प्राप्त कर आहरित की जायेगी एवं कार्यदायी विभाग/संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति से धनराशि व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा ।

(8) जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(9) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

(10) उक्त कार्य/परियोजना को कराये जाने के उपरान्त होने वाला वास्तविक व्यय के सापेक्ष अवशेष देयकों के भुगतान की औचित्यपूर्ण एवं प्रमाणित मॉग प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् धनराशि निर्गत की जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000 (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2053000940500 स्थानीय निकायों

/422714/2023

के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Signed by अमृत अभिजात
Date: 06-11-2023 10:50:57
Reason: Approved

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 2686/2023/001-1737705, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 20.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या को उनके पत्र दिनांक 19.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कोषाधिकारी, अयोध्या ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज/स्थानीय निकाय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. सुपर वेब यूजर्स/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को एलाटमेंट/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव,

AKGO

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A009-20232024-1737705

विषय:- जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के दृष्टिगत अनुदान संख्या-**37** के लेखा शीर्षक **2053**-जिला प्रशासन-**094**-अन्य स्थापनायें-**05**-स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808001000 (उत्तर प्रदेश में होने वाली जी-20 सम्मेलन की बैठकों हेतु)	42 (अन्य व्यय)	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	-20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	30,00,00,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2053000940500 (स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले	20 (सहायता अनुदान -	16,00,00,000 रुपये सोलह करोड़ मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	36,00,00,000	2023-2024

2574695/2023/ (-)-9

प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था)	सामान्य (गैर वेतन))

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

लेखाशीर्षक 221780800100042 (उत्तर प्रदेश में होने वाली जी-20 सम्मेलन की बैठकों हेतु) में सम्भावित बचत होने के कारण।

2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-
जनपद अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के दृष्टिगत अनुदान संख्या-37 के लेखा शीर्षक 2053-जिला प्रशासन-094-अन्य स्थापनायें-05-स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीयकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि की आवश्यकता के कारण।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-<बजट-1-158> -2023-24, दिनांक-31 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महावीर प्रसाद
अनु सचिव

सिद्धार्थ श्रीवास्तव
अपर निदेशक, वित्त विभाग

2574695/2023/ (-)-9

संख्या : / A009-20232024-1737705 दिनांक- अक्टूबर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. जिलाधिकारी अयोध्या ।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम अयोध्या
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय संख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8. नगर विकास अनुभाग-5/9
9. कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-06/11/2023

प्रेषण संख्या:- 2686
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2686-2023-001-1737705
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2053 - जिला प्रशासन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

094 - अन्य स्थापनाएं
05 - स्थानीय निकायों के क्षेत्र में लगने वाले प्रान्तीकृत मेलों एवं प्रदर्शनियों हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	200000000 252961000	200000000 252961000
	योग	वर्तमान प्रगामी	200000000 252961000	200000000 252961000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बीस करोड़
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़ उन्तीस लाख इकसठ हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव